राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी— श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

सीसीएमएस संख्या— 2023 / 130
राजस्व वाद संख्या— 44 / 2023
दायर दिनांक— 07.07.2023
निर्णय दिनांक— 11.03.2026

1. घीसा उर्फ घासीराम पुत्र रोडूराम (फौत)
   1.1. अमरी देवी पत्नि घासीराम
   1.2. कैलाश सिंह चौधरी पुत्र घीसा उर्फ घासीराम
   1.3. राजेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र घीसा उर्फ घासीराम
   1.4. अमराव सिंह चौधरी पुत्र घीसा उर्फ घासीराम
   1.5. सुरजित सिंह चौधरी पुत्र घीसा उर्फ घासीराम
   1.6. करतार सिंह चौधरी पुत्र घीसा उर्फ घासीराम
   सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ

—वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र रामेश्वर
2. बरजी पत्नि रामेश्वर
3. रणजीत सिंह चौधरी पुत्र रामचरण चौधरी
4. रामचरण चौधरी पुत्र रोडूराम चौधरी
5. रामलाल पुत्र रामेश्वर
6. हीरालाल पुत्र रामेश्वर
   सर्वजाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
8. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा जरिये शाखा प्रबंधक
9. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा हरमाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 वादीगण
2 श्री विजय पारीक अधि0 प्रतिवादी सं. 9

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम सुरसुरा, पटवार हल्का सुरसुरा भू—अ0नि0 हरमाड़ा के खाता संख्या 599 के खसरा संख्या 1816 रकबा 1.0517 हैक्ट0, ख0न0 1931 रकबा 0.9546 है0 व ख0न0 1932 रकबा 2.3541 है0 भूमि एवं खाता संख्या 797 के ख0न0 1006 रकबा 0.9384 है0 भूमि अवस्थित है। वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा निहित है व हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य मय नींव सींव अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार नाप चौक कर बंटवारा नहीं हो रखा है। इसलिए आये दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य वाद—विवाद, लड़ाई—झगड़ा होता रहता है। दिनांक 02.07.2023 को वादी से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के द्वारा उक्त कृषि भूमि में फसल बिजाई करते समय विवाद किया इस पर वादी के द्वारा प्रतिवादीगण से कहा कि हम आपस में अपसी सहमति से बिधिक बंटवारा करवा लेते है तब प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने कहा हम किसी तरह का बंटवारा नहीं करवायेंगे। इसलिये बंटवारा किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के अधीन वाद वर्णित आराजी रहन दर्ज होने से पक्षकार संयोजित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

आर0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/130
राजस्व वाद संख्या– 44/2023
दायर दिनांक– 07.07.2023
निर्णय दिनांक– 11.03.2026

1. धीसा उर्फ घासीराम पुत्र रोडूराम (फौत)
   - 1.1. अमरी देवी पत्नि घासीराम
   - 1.2. कैलाश सिंह चौधरी पुत्र धीसा उर्फ घासीराम
   - 1.3. राजेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र धीसा उर्फ घासीराम
   - 1.4. अमराव सिंह चौधरी पुत्र धीसा उर्फ घासीराम
   - 1.5. सुरजित सिंह चौधरी पुत्र धीसा उर्फ घासीराम
   - 1.6. करतार सिंह चौधरी पुत्र धीसा उर्फ घासीराम

   सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ

—वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र रामेश्वर
2. बरजी पत्नि रामेश्वर
3. रणजीत सिंह चौधरी पुत्र रामचरण चौधरी
4. रामचरण चौधरी पुत्र रोडूराम चौधरी
5. रामलाल पुत्र रामेश्वर
6. हीरालाल पुत्र रामेश्वर

   सर्वजाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
8. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा जरिये शाखा प्रबंधक
9. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा हरमाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 वादीगण
2 श्री विजय पारीक अधि0 प्रतिवादी सं. 9

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम सुरसुरा, पटवार हल्का सुरसुरा भू–अ0नि0 हरमाड़ा के खाता संख्या 599 के खसरा संख्या 1816 रकबा 1.0517 हैक्ट0, ख0न0 1931 रकबा 0.9546 है0 व ख0न0 1932 रकबा 2.3541 है0 भूमि एवं खाता संख्या 797 के ख0न0 1006 रकबा 0.9384 है0 भूमि अवस्थित है। वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा निहित है व हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य मय नींव सींव अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार नाप चौक कर बंटवारा नहीं हो रखा है। इसलिए आये दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य वाद–विवाद, लड़ाई–झगड़ा होता रहता है। दिनांक 02.07.2023 को वादी से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के द्वारा उक्त कृषि भूमि में फसल बिजाई करते समय विवाद किया इस पर वादी के द्वारा प्रतिवादीगण से कहा कि हम आपस में अपसी सहमति से विधिक बंटवारा करवा लेते है तब प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने कहा हम किसी तरह का बंटवारा नहीं करवायेंगे। इसलिये बंटवारा किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के अधीन वाद वर्णित आराजी रहन दर्ज होने से पक्षकार संयोजित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वादी की ओर से निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन कर अलग खाता, अलग खसरा कायम किये जावे एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की बंटवारा की डिक्री बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 से 6 पारित की जावे एवं वादी का अधिकार अभिलेख में इन्द्राज हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 स्वयं, उनके नौकर चाकर, परिवार के सदस्य वादी के द्वारा किये जा रहे कृषकीय कार्य, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, अड़चन उत्पन्न नहीं करे इस बाबत् वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 6 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वादी की मृत्यु होने से वादी के वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पेश किया गया जिस पर उनको सुना गया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वकील वादी की ओर से संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से जवाब पेश नहीं, जवाब बन्द किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1/2 की ओर से आदेश 18 नियम 4 पेश किये जिस पर उसके बयान दर्ज किये गये। वकील वादी ने अन्य के साक्ष्य पेश करने हेतु इनकार किया। प्रतिवादी साक्ष्य पेश नही होने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद किया गया। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ (प्रतिवादी संख्या 7) द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य मय नींव, सींव अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में वर्णित हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर अलग खाता, अलग खसरा, अलग लगान कायम किये जाने एवं राजस्व नक्शे में बंटवारा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश फरमावें।

तदनुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। तदनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ से कमिश्नर रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव स्वीकारा एवं विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में भूमि निम्नानुसार होगी –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

	ग्राम सुरसुरा – खसरा संख्या –1816, 1931, 1932 व 1006	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
क0 सं0	नाम खातेदार			
1	अमरी देवी पत्नि घीसा उर्फ घासीराम, अमराव सिंह चौधरी,, करतार सिंह चौधरी, कैलाश सिंह चौधरी, राजेन्द्र सिंह चौधरी, सुरजीत सिंह चौधरी पुत्रान घीसा उर्फ घासीराम जाति जाट सा0 देह खातेदार प्रत्येक का हि0ब0 1/6 राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा सभी का हिस्सा	1816 1931/3	1.0517 0.3696	बंजर 1–0.2023 बा0 3–0.8494 बंजर–1
2	रणजीत सिंह चौधरी पुत्र रामचरण चौधरी हि0 हि0 1/2 जाति जाट राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा, रामचरण चौधरी पुत्र रोड़ूराम चौधरी हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	1932/3	1.4214	बंजर–1
3	किशनलाल, रामलाल, हीरालाल पुत्र रामेश्वर, बरजी पत्नि रामेश्वर ब0हि0ब0 प्रत्येक का 1/4 हि0 समस्त खातेदारान का हिस्सा राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा	1932/2 1931/2	0.9012 0.5201	बंजर –1 बंजर–1
4	समस्त खातेदारान जमाबंदी अनुसार पूर्ववत	1931/1 1932/1	0.0649 0.0315	बंजर–1 बंजर–1

उपखण्ड अधिका... (अजमे...